जनपद बाराबंकी

दिनांक 10.06.2024

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना व सक्रिय सदस्य की चल/अचल सम्पत्ति कीमत 07 करोड़ 55 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

इसी क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना तारिक अनवर पुत्र मो0 मुश्ताक निवासी ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 शादाब पुत्र मुमताज निवासी ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर विगत 08-10 वर्षों से आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न किये जा ने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/सरगना तारिक अनवर पुत्र मो0 मुश्ताक निवासी ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 शादाब उपरोक्त द्वारा अपने परिजनों के नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति (ग्राम कोला गहबड़ी परगना सतरिख स्थित विभिन्न भूखण्ड पर निर्मित राइसमिल व 18 अदद दुकानें, ग्राम टेरा परगना सतरिख स्थित 03 अदद भूखण्ड) की वर्तमान में उस स्थान पर प्रचलित बाजार दर के अनुसार अनुमानित कीमत लगभग 07 करोड़ 55 लाख रुपये को चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 10.06.2024 को थाना जैदपुर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण- (कुल सम्पत्ति की कीमत 07 करोड़ 55 लाख रुपये (07,55,00,000/-रुपये)

1- ग्राम कोला गहबड़ी परगना सतरिख में भूखण्ड गाटा संख्या 3524 रकबा 0.065 हे0 पर निर्मित राइस मिल - कीमत लगभग- 4,00,00,000/- रुपये (गिरोह सरगना तारिक अनवर की माता के नाम)

2- ग्राम कोला गहबड़ी परगना सतरिख में भूखण्ड गाटा संख्या 1620 व 1621 कुल रकबा 0.194 हे0 पर निर्मित 18 दुकानें कीमत लगभग- 2,50,00,000/- रुपये (गिरोह के सक्रिय सदस्य शादाब की माता के नाम)
3- ग्राम टेरा परगना सतरिख में 01 अदद भूखण्ड (कृषि) गाटा संख्या 569 रकबा 0.3255 हे0 कीमत लगभग- 40,00,000/-रुपये (गिरोह के सक्रिय सदस्य शादाब की माता के नाम)
4- ग्राम टेरा परगना सतरिख में 01 अदद भूखण्ड (कृषि) गाटा संख्या 116 रकबा 0.104 हे0 कीमत लगभग- 25,00,000/-रुपये (गिरोह सरगना व सदस्य के चाचा इम्तियाज के नाम)
5- ग्राम कोला गहबड़ी परगना सतरिख में 01 अदद भूखण्ड (कृषि) गाटा संख्या 3582 रकबा 0.238 हे0 - कीमत लगभग- 40,00,000/- रुपये (गिरोह के सक्रिय सदस्य शादाब के पिता के नाम)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त/गिरोह सरगना तारिक अनवर पुत्र मो0 मुश्ताक निवासी ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

1. मु0अ0सं0 90/2023 धारा 8/21(c)/29 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

सक्रिय सदस्य मो0 शादाब पुत्र मुमताज निवासी ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

1. मु0अ0सं0 90/2023 धारा 8/21(c)/29 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।